हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

अष्टम् सत्र

बुधवार, 26 फरवरी, 2020/7 फाल्गुन,1941(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **शोकोद्गार:**

   स्वर्गीय सुश्री कृष्णा मोहिनी, पूर्व सदस्या, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार।

2. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित:**

   (i) स्थगित
   (ii) दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित:**

   (i) स्थगित
   (ii) दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

3. **अध्यक्ष के चुनाव हेतु प्रस्ताव :**

   (1) **श्री जय राम ठाकुर,** निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

   "That Shri Vipin Singh Parmar, a Member of this House be chosen as the Speaker of this House. "

   डॉ0 राजीव बिन्दल प्रस्ताव का समर्थन करेंगे ।

   (2) **श्री सुरेश भारद्वाज,** निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

   "That Shri Vipin Singh Parmar, a Member of this House be chosen as the Speaker of this House. "

   श्रीमती सरवीन चौधरी प्रस्ताव का समर्थन करेंगी ।

(3) **डॉ0 राम लाल मारकण्डा,** निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

"**That Shri Vipin Singh Parmar,** a Member of this House be chosen as the Speaker of this House."

श्री राकेश पठानिया प्रस्ताव का समर्थन करेंगे ।

(4) **श्री बिक्रम सिंह,** निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

"**That Shri Vipin Singh Parmar,** a Member of this House be chosen as the Speaker of this House. "

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर प्रस्ताव का समर्थन करेंगे ।

4. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

5. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे :

सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

1. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 19);
2. हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 1);
3. हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 2); और
4. हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 3)।

6. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) **डॉ0 राम लाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, प्रशासनिक अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:एग्र.ए.-बी (2)-5/2014 दिनांक 19.10.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.10.2019 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट वैटनरी कांऊसिल के वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

7. अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2019-2020 का प्रस्तुतीकरण:-

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुपूरक अनुदान मांगें प्रथम तथा अन्तिम किस्त को प्रस्तुत करेंगे।

शिमला-171004
दिनांक: 25 फरवरी, 2020

यशपाल शर्मा,
सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)